

गृह (ग्रुप-6) विभाग
1378
22/5/18

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-9) विभाग

क्रमांक: प.16(11)गृह-9/2017

जयपुर, दिनांक:-

14 MAY 2018

अधिसूचना

यतः राज्य सरकार यह समझती है कि ग्राम खेलना, तहसील कोटपुतली जयपुर में स्थित केवी पावर ग्रिड कोटपुतली उप केन्द्र परिसर जिसके क्षेत्र का विवरण नीचे वर्णित है, से संबंधित जानकारी या उसका विनाश या उसमें बाधा या इसमें हस्तक्षेप शत्रु को उपयोगी होगा।

इसलिए अब राज्य सरकार एतद्वारा शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 19) की धारा 2 के खण्ड (8) के उप-खण्ड (घ) संपठित भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 21/20/62 पोल (I) दिनांक 04.05.1963 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम खेलना, तहसील कोटपुतली जयपुर में स्थित केवी पावर ग्रिड कोटपुतली उप केन्द्र परिसर को उक्त अधिनियम के तहत सुरक्षा की दृष्टि से निम्नांकित सीमाओं वाले क्षेत्र को प्रतिषिद्ध स्थान घोषित करती है।

क्षेत्र का विवरण

क्र.सं.	नाम तहसील	ग्राम	भूमि ख.नं.	रकबा	उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
1.	कोटपुतली, जयपुर	खेलना	1811/1		चारागाह भूमि ख.न. 1800,1801,1811/2622, 1811/2624	चारागाह भूमि 1811	चारागाह भूमि 1811	ग्राम रूपपुरा की सीमा

AS
21/5/2018
डा.क.न.
21/5/18

राज्यपाल की आज्ञा से,

(चेतन देवड़ा)

शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
3. जिला कलक्टर, जयपुर।
4. निदेशक, लेखन सामग्री एवं मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर दिनांक..... के असाधारण राजपत्र में प्रकाशनार्थ मय सी.डी.।
5. मुख्य प्रबंधक, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, केवी कोटपुतली उपकेन्द्र ग्राम-खेलना पोस्ट पावटा, जयपुर राज. 303106।
6. उप शासन सचिव गृह ग्रुप-6 विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

14 MAY 2018

शासन संयुक्त सचिव
गृह (आपदा प्रबन्धन) विभाग